

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
भोपाल

:: अनावृत्ति प्रमाण-पत्र ::  
.....

भोपाल, दिनांक

क्रमांक / 20-2/02 :: राज्य शासन अधोपस्था प्रताप नमंदा महाविद्यालय तद्वर केन्द्र, जबलपुर को निर्धारित नियमों के अंतर्गत सन 2003-04 से बोर्डिंग प्रणाली वाद्व्यक्रम प्रारंभ करने के लिये अनावृत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करता है।

2/ यह बोधव्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद राज्य में ज्येष्ठ तमिात भोपाल से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3/ सन-ता.टी.के. की मान्यता के उपरांत एक वर्षीय बी.एड. वाद्व्यक्रम में प्रवेश प्री.बी.एड. नियमावली के आधार पर, प्री.बी.एड. परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर दिया जायेगा। यदि नियम धिस प्रवेश दिया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रवेश देने वाले महाविद्यालय की होगी एवं उसकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

4/ अनावृत्ति प्रमाण-पत्र इस आधार पर दिया जाता है कि इस बोर्ड के लिये राज्य शासन से कोई अनुदान एवं सहायता नहीं दी जायेगी।

5/ निर्धारित शर्तों का पालन न कर सकने की स्थिति में अनावृत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अदिशा-तार,

। एम.एल. नरवारिया ।  
अवर सचिव

मध्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पुणे २७ / 5776/20-2/02

भोपाल, दिनांक 3.1.03

प्रतिलिपि:-

2.

आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल की ओर सुचनाय ।  
देशीय निर्देशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, देशीय तमिात  
स्थापना दित्त, भोपाल की ओर सुचनाय ।  
प्राचार्य, अधोपस्था प्रताप नमंदा महाविद्यालय, तद्वर केन्द्र,  
जबलपुर, की ओर सुचनाय प्रेषित ।

  
अवर सचिव 3/1/03

मध्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग